रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31102025-267289
CG-DL-E-31102025-267289

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 316] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार , अक्तूबर 30, 2025/ कार्तिक 8, 1947
No. 316] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 30, 2025/ KARTIKA 8, 1947

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
शुद्धिपत्र अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 2025

मामला सं-एडी-ओआई .30/2023

विषय: चीन जन.गण., इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, ताइवान, थाइलैंड और संयुक्त राज्य अमरीका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सस्पेंशन पॉलीविनायल क्लोराइड सस्पेंशन रेजिन" के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच ।

फा.सं.6/33/2023 डीजीटीआर-समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन जन.गण., इंडोनेशिया, जापान, कोरिया आरपी, ताइवान, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका से "पॉलीविनाइल

क्लोराइड सस्पेंशन रेजिन" के आयात पर की गई पाटनरोधी जांच के संबंध में अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना संख्या 6/33/2023-डीजीटीआर, दिनांक 14 अगस्त 2025 जारी की है।

उपरोक्त अधिसूचना में, कई अनुच्छेदों में अनजाने में "प्रस्ताव / प्रस्तावित / प्रस्तावित" शब्द का उल्लेख हो गया है। यह एक मुद्रण त्रुटि है और इसे हटाया जा रहा है। निम्नलिखित अनुच्छेदों को नीचे दिए गए अनुसार पढ़ा जाए।

क. **पैराग्राफ 27** को प्रतिस्थापित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

"27. चूँकि डीसीडब्ल्यू ने सी-पीवीसी के उत्पादन के लिए एस-पीवीसी के घरेलू स्तर पर उत्पादित ग्रेडों के साथ-साथ एस-पीवीसी के आयातित ग्रेडों का भी उपयोग किया है, इसलिए प्राधिकारी नोट करते हैं कि डीसीडब्ल्यू लिमिटेड ने घरेलू ग्रेड और आयातित ग्रेड का परस्पर उपयोग किया है। इस प्रकार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद के साथ व्यावसायिक और तकनीकी रूप से प्रतिस्थापनीय है। इस प्रकार, प्राधिकारी का मानना है कि विचाराधीन उत्पाद के दायरे से ऐसे किसी भी ग्रेड को बाहर करने की कोई आवश्यकता नहीं है।''

ख. **पैराग्राफ 32** को प्रतिस्थापित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

" अल्ट्रा-लो और अल्ट्रा-हाई के-वैल्यू पीवीसी को बाहर रखने के संबंध में प्रस्तुत किए गए निवेदनों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इसे बाहर रखा गया क्योंकि घरेलू उद्योग ने स्वीकार किया कि उसने उक्त ग्रेडों के समान वस्तु की पेशकश नहीं की। तथापि, सी-पीवीसी के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त एस-पीवीसी के मामले में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू स्तर पर उत्पादित उत्पाद का उपयोग सी-पीवीसी के उत्पादन के लिए एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है। इस प्रकार, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि घरेलू उद्योग ने ऐसे ग्रेडों के समान वस्तु की पेशकश की है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे से ऐसे ग्रेडों को बाहर रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।"

ग. **पैराग्राफ 36** को प्रतिस्थापित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

"सभी हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए निवेदनों की जांच करने और अभिलेख में प्रस्तुत सामग्री का अवलोकन करने के पश्चात, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि पीवीसी सस्पेंशन रेजिन की कोई विशिष्ट, स्पष्ट रूप से पहचान योग्य श्रेणी नहीं है जो सी-पीवीसी रेजिन के विनिर्माण के लिए अद्वितीय हो। एपिग्रल लिमिटेड द्वारा सी-पीवीसी रेजिन के विनिर्माण के लिए विशेष के रूप में दावा किए गए पीवीसी सस्पेंशन रेजिन का उपयोग

अन्य अनुप्रयोगों के लिए किया जा सकता है और ऐसे अन्य पीवीसी रेजिन भी हैं जिनका उपयोग सी-पीवीसी रेजिन के विनिर्माण के लिए किया गया है। इसके मद्देनजर, दोनों तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएं, पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के दायरे और अर्थ के भीतर संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु हैं। इसलिए, प्राधिकारी का मानना है कि एपिग्रल लिमिटेड द्वारा दावा किए गए ग्रेड विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर किए जाने का समर्थन नहीं करते हैं।''

घ. पैराग्राफ 43 को प्रतिस्थापित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

"उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद के निम्नलिखित दायरे पर निष्कर्ष निकालते हैं।

विनाइल क्लोराइड मोनोमर (सस्पेंशन ग्रेड) का ''होमोपॉलीमर'' जिसे पीवीसी सस्पेंशन रेजिन के रूप में भी जाना जाता है, 55 से ऊपर और 77 तक के-वैल्यू के साथ सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित किया जाता है।

वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद में निम्नलिखित शामिल नहीं हैं
i. अल्ट्रा-लो के-वैल्यू पीवीसी सस्पेंशन रेजिन (के-वैल्यू 55 तक)
ii. अल्ट्रा-हाई के-वैल्यू पीवीसी सस्पेंशन रेजिन (के-वैल्यू 77 से ऊपर)
iii. क्रॉस-लिंक्ड पीवीसी
iv. क्लोरीनयुक्त पीवीसी (सीपीवीसी),
v. विनाइल क्लोराइड - विनाइल एसीटेट कोपोलिमर (वीसी-वीएसी),
vi. पीवीसी पेस्ट रेज़िन/इमल्शन रेज़िन
vii. मास पॉलीमराइजेशन पीवीसी
viii. पॉलीविनाइल क्लोराइड सम्मिश्रण रेजिन.

इसके अलावा, इमल्शन पॉलीमराइजेशन के माध्यम से निर्मित पीवीसी रेजिन, बल्क मास पॉलीमराइजेशन के माध्यम से निर्मित पीवीसी रेजिन, और माइक्रो सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित पीवीसी रेजिन को भी विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है।"

ड. **पैराग्राफ 45** को प्रतिस्थापित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

"इसके अलावा, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद, संबद्ध देशों से आयातित वस्तुओं के समान वस्तु है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद, भौतिक एवं रासायनिक गुणों, कार्यों एवं उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। यद्यपि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन में विभिन्न विनिर्माण प्रक्रिया/प्रौद्योगिकियां शामिल हैं, फिर भी अंतिम उत्पाद के विनिर्देश तुलनीय हैं और उनका उपयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से भारत में आयातित उत्पाद तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापनीय है, और उपभोक्ता दोनों का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर कर रहे हैं। इसके मद्देनजर, नियमों के नियम 2(घ) के अनुसार, घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित उत्पाद को भारत में आयातित उत्पाद के समान वस्तु माना गया है।"

च. **पैराग्राफ 46** को प्रतिस्थापित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

"वर्तमान अंतिम जांच परिणाम वर्तमान जाँच पूरी करने की वैधानिक समय-सीमा को ध्यान में रखते हुए जारी किए जा रहे हैं। वर्तमान निर्णय इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन होगा।"

छ. **पैराग्राफ 51** को प्रतिस्थापित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

"51. आवेदकों ने अनुरोध किया है कि अन्य घरेलू उत्पादकों ने जाँच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य घरेलू उत्पादकों ने इस संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है। तदनुसार, प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स से प्राप्त आंकड़ों और आवेदकों द्वारा किए गए अनुरोधों पर भरोसा किया है। चूँकि फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड विचाराधीन उत्पाद के आयात में शामिल हैं, इसलिए प्राधिकारी ने उन्हें स्थिति निर्धारित करने के प्रयोजन हेतु अपात्र माना है। यह नोट किया जाता है कि फिनोलेक्स द्वारा आयात उनके उत्पादन का [***]% है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा आयात उनके उत्पादन के [***]% के बराबर है।''

ज. **पैराग्राफ 56** को प्रतिस्थापित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

"56. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि डीसीडब्ल्यू लिमिटेड द्वारा खरीदी गई संबद्ध वस्तुओं की मात्रा नगण्य है। इस प्रकार, यद्यपि डीसीडब्ल्यू को घरेलू उद्योग के रूप में

मान्यता प्राप्त करने के लिए पात्र माना गया है, फिर भी घरेलू बाजार से खरीद, संबद्ध वस्तुओं की खरीद का उद्देश्य और आयात की मात्रा को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी आरआईएल और फिनोलेक्स को अपात्र मानते हैं।''

झ. **पैराग्राफ 61** को प्रतिस्थापित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

"61. पूर्वोक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आवेदक घरेलू उद्योग हैं जैसा कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के तहत परिभाषित किया गया है और आवेदन पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आवश्यकता को पूरा करता है''

ञ. **पैराग्राफ 113** को प्रतिस्थापित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

"113. प्रारंभिक जांच परिणामों में, ताइयो विनाइल कॉर्पोरेशन (ताइयो विनाइल) द्वारा प्रस्तुत उत्तर को कमियों के आधार पर स्वीकार नहीं किया गया। डेस्क सत्यापन के दौरान, ताइयो विनाइल द्वारा प्रस्तुत उत्तर की विस्तृत जाँच की गई और निर्यातक ने यह दर्शाया कि प्रस्तुत उत्तर सभी दृष्टियों से पूर्ण और सटीक था। तदनुसार, प्राधिकारी ने ताइयो विनाइल कॉर्पोरेशन (ताइयो विनाइल) द्वारा प्रस्तुत उत्तर को स्वीकार कर लिया है। सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य की गणना निम्नानुसार की गई है''

ट. **पैराग्राफ 222** को प्रतिस्थापित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

"इस प्रकार, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि निम्नलिखित कारणों से वर्तमान जांच में आयातों को संचित करना उचित होगा:-

क. संबद्ध वस्तुओं को संबद्ध देशों से भारत में पाटित किया जा रहा है।

ख. प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन मार्जिन नियमों के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है।

ग. प्रत्येक संबद्ध देश से आयात की मात्रा कुल आयात मात्रा के 3% से अधिक है।

घ. आयात के प्रभावों का संचयी मूल्यांकन उचित है क्योंकि संबद्ध देशों से आयात न केवल संबद्ध देशों में से प्रत्येक से आयात के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा करते हैं, बल्कि भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा पेश की गई समान वस्तुओं के साथ भी प्रतिस्पर्धा करते हैं।"

ठ. **पैराग्राफ 239** को प्रतिस्थापित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

"239. इस अनुरोध के संबंध में कि विचाराधीन उत्पाद की पहुँच कीमत वीसीएम की अंतर्राष्ट्रीय कीमत के अनुरूप बढ़ी है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अभिलेखों में उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार, घरेलू उद्योग की वीसीएम कीमतें अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर आधारित हैं। इसके अतिरिक्त, वीसीएम का आयात केमप्लास्ट कुड्डालोर विनाइल्स लिमिटेड और डीसीडब्ल्यू लिमिटेड द्वारा किया जाता है। प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं की पहुँच कीमत की तुलना केमप्लास्ट और डीसीडब्ल्यू की वीसीएम कीमतों से की है। यह नोट किया जाता है कि पहुँच कीमत और वीसीएम की कीमत के बीच अंतर में कमी आई है। इस प्रकार, प्राधिकारी यह निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वीसीएम की कीमत में आनुपातिक गिरावट के बिना पहुँच कीमत में कमी आई है।"

ड **पैराग्राफ 297** को प्रतिस्थापित कर निम्न प्रकार पढ़ा जाएगा:

"297. इस अनुरोध के संबंध में कि डीसीडब्ल्यू लिमिटेड द्वारा उत्पादित उत्पाद में गुणवत्ता संबंधी समस्याएं हैं क्योंकि उसने जांच अवधि के बाद विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि डीसीडब्ल्यू लिमिटेड ने विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है, घरेलू उत्पादकों से खरीदा है और जांच अवधि के बाद सी-पीवीसी के निर्माण के लिए मुख्य रूप से अपने स्वयं के ग्रेड का उपयोग किया है। चूंकि डीसीडब्ल्यू लिमिटेड की प्रमुख खपत उसके अपने ग्रेड की है, इसलिए प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित संबद्ध वस्तुओं में कोई गुणवत्ता संबंधी समस्या नहीं है।"

1. पैराग्राफ 3 (जी) (40), 96 (एनएन) और 335 **में** , "चीन पीआर से गैर-नमूनाकृत सहकारी उत्पादकों की सूची" एस नंबर 9 पर। **फाइनल का** निष्कर्षों के लिए**,** कृपया **शान्शी बेयुआन केमिकल ग्रुप कंपनी लिमिटेड के बजाय** शान्शी बेयुआन केमिकल ग्रुप कंपनी लिमिटेड **पढ़ें ।**

2. पैराग्राफ 3 (एफ) (36) में **फाइनल का** निष्कर्षों के लिए, कृपया **झिंजियांग शेंगक्सियोंग क्लोर-अल्कली कंपनी लिमिटेड के बजाय** झिंजियांग शेंगक्सियोंग क्लोर-अल्कली कंपनी लिमिटेड **पढ़ें ।**

3. अंतिम के पैराग्राफ 3 (एफ) (25) में निष्कर्षों के लिए, कृपया **शंघाई क्लोर-अल्कली केमिकल कंपनी लिमिटेड के बजाय** शंघाई क्लोर-अल्कली केमिकल कंपनी लिमिटेड **पढ़ें ।**

4. पैराग्राफ 266 में ताइयो विनाइल कॉर्पोरेशन के संबंध में एस नं. 12 पर संशोधित क्षति मार्जिन तालिका नीचे दी गई है -

एस.एन.	निर्माता का नाम	जापानी	उतराई मूल्य	चोट का मार्जिन	चोट का मार्जिन	चोट का मार्जिन
		यूएसडी/एमटी	यूएसडी/एमटी	यूएसडी/एमटी	%	श्रेणी (%)
A. जापान						
12	ताइयो विनाइल कॉर्पोरेशन	***	***	***	***%	5-15%

5. पैराग्राफ 335 में ताइयो विनाइल कॉर्पोरेशन के संबंध में एस नं. 14 पर संशोधित शुल्क तालिका नीचे दी गई है -

एस. नं.	शीर्षक	विवरण*	उद्गम देश	निर्यात का देश	निर्माता	मात्रा	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
14	**-करना-**	**-करना-**	जापान	जापान सहित कोई भी देश	ताइयो विनाइल कॉर्पोरेशन	64	मीट्रिक टन	USD

सिद्धार्थ महाजन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

CORRIGENDUM NOTIFICATION

New Delhi, the 29th October, 2025

CASE NO. AD(OI) – 30/2023

Subject: Anti-dumping investigation concerning imports of "Polyvinyl Chloride Suspension Resins" originating in or exported from China PR, Indonesia, Japan, Korea RP, Taiwan, Thailand and United States of America.

F. No. 06/33/2023-DGTR.— Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time, thereof, the Designated Authority has issued the Final Findings Notification No. 6/33/2023-DGTR, dated 14th August 2025 in respect of the anti-dumping investigation undertaken on imports of "Polyvinyl Chloride Suspension Resins" from China PR, Indonesia, Japan, Korea RP, Taiwan, Thailand and United States of America.

6. In the aforesaid notification, the words "propose / proposes / proposed" has been inadvertently mentioned in several paragraphs. The same is a typographical error and is being deleted. The following paragraphs to be read as given under.

a. **Paragraph 27** of the final findings stands substituted to be read as under:

"27. Since DCW has used domestically produced grades of S-PVC as well as imported grades of S-PVC for production of C-PVC, the Authority notes that DCW Limited has used the domestic grade and imported grade interchangeably. Thus, the Authority notes that the product under consideration imported from the subject countries is commercially and technically substitutable with the product produced by the domestic industry. Thus, the Authority holds that there is no need for exclusion of any such grade from the scope of the product under consideration."

b. **Paragraph 32** of the final findings stands substituted to be read as under:

"With regard to the submissions made regarding exclusion of ultra-low and ultra-high K-Value PVC, the Authority notes that the same was excluded as the domestic industry admitted that did not offer a like article to the said grades. However, in case of S-PVC used for manufacturing of C-PVC, the Authority notes that the domestically produced product can be used interchangeably for production of C-PVC. Thus, the Authority concludes that the domestic industry has offered a like article to such grades and that there is no need for exclusion of such grades from the scope of the product under consideration."

c. **Paragraph 36** of the final findings stands substituted to be read as under:

"After examination of submissions made by all the interested parties and perusing the material placed on record, the Authority concludes that there is a no specific, clearly identifiable category of PVC suspension resin which is unique for manufacturing of C-PVC resin. PVC suspension resins claimed as special by Epigral Limited for manufacture of C-PVC resin can be used for other applications and there are other PVC resins which have been used for manufacture of the C-PVC resin. In view of this, the two are technically and commercially substitutable. The subject goods produced by the domestic industry are like article to the product under consideration imported from subject country within the scope and meaning of Rule 2(d) of anti-dumping Rules. Hence, the Authority holds that the grades claimed by Epigral Limited do not warrant exclusion from the scope of the product under consideration."

d. **Paragraph 43** of the final findings stands substituted to be read as under:

" In view of the foregoing, the Authority concludes the following scope of product under consideration.

"Homopolymer of Vinyl Chloride Monomer (suspension grade) also known as PVC Suspension Resin manufactured through suspension polymerisation process with K-value above 55 and upto 77.

The product under consideration in the present investigation excludes the following
i. Ultra-Low K-Value PVC Suspension Resins (K-value upto 55)
ii. Ultra-High K-Value PVC Suspension Resins (K-value above 77)
iii. Cross-linked PVC
iv. Chlorinated PVC (CPVC),
v. Vinyl chloride – vinyl acetate copolymer (VC-VAC),
vi. PVC paste resin/emulsion resins
vii. Mass Polymerisation PVC
viii. Polyvinyl Chloride Blending Resins.

Further, PVC resins manufactured through emulsion polymerisation, PVC resins manufactured through bulk mass polymerization, and PVC resins manufactured through micro suspension polymerization process are also excluded from the scope of the product under consideration.""

e. **Paragraph 45** of the final findings stands substituted to be read as under:

"Further, the Authority concludes that the product produced by the domestic industry is like article to the goods imported from the subject countries. The product produced by the domestic industry and imported from the subject countries are comparable in terms of physical & chemical properties, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Even though there are

different manufacturing process/technologies involved for production of the subject goods, the end product has comparable specifications and is used interchangeably. The product produced by the domestic industry and imported into India from the subject country is technically and commercially substitutable, and the consumers are using the two interchangeably. In view of the same, the product manufactured by the domestic industry has been considered as like article to the product imported into India, in accordance with Rule 2(d) of the Rules."

f. **Paragraph 46** of the final findings stands substituted to be read as under:

"The present final findings are being issued in view of statutory timelines for completion of the present investigation. The present decision shall be subject to outcome of decision of the Hon'ble Supreme Court in the matter."

g. **Paragraph 51** of the final findings stands substituted to be read as under:

"51. The applicants have submitted that the other domestic producers have imported the product under consideration from the subject countries during the period of investigation. The Authority notes that the other domestic producers have not made any submissions in this regard. Accordingly, the Authority has relied upon the data received from DG Systems and the submissions made by the applicants. Since Finolex Industries Limited and Reliance Industries Limited are involved in importing the product under consideration, the Authority has considered them ineligible for the purpose of determining standing. It is noted that the imports by Finolex are [***] % of their production, and imports by Reliance Industries are equivalent to [***] % of their production."

h. **Paragraph 56** of the final findings stands substituted to be read as under:

"56. The Authority further notes that the volume of subject goods procured by DCW Limited is miniscule. Thus, while DCW has been considered eligible to constitute domestic industry, after taking into account, procurement from domestic market, purpose of purchase of subject goods and the quantum of imports, the Authority considers RIL and Finolex as ineligible."

i. **Paragraph 61** of the final findings stands substituted to be read as under:

"61. In view of the foregoing, the Authority concludes that the applicants constitute domestic industry as defined under Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules and the application satisfies the requirement of standing in terms of Rule 5(3) of the Anti-Dumping Rules."

j. **Paragraph 113** of the final finding stands substituted to be read as under:

"113. In the preliminary findings, the response filed by Taiyo Vinyl Corporation (Taiyo Vinyl) was not accepted, on grounds of deficiencies. During the course of desk verification,

the response filed by Taiyo Vinyl was examined in detail, and the exporter has demonstrated that the response filed was complete and accurate in all material respect. Accordingly, the Authority has accepted the response filed by Taiyo Vinyl Corporation (Taiyo Vinyl). The normal value and export price have been computed as under.

k. **Paragraph 222** of the final findings stands substituted to be read as under:

"The Authority, thus, concludes that it would be appropriate to cumulate imports in the present investigation for the following reasons: -
a. The subject goods are being dumped into India from the subject countries.
b. The margin of dumping from each of the subject countries is more than the de minimis limits prescribed under the Rules.
c. The volume of imports from each of the subject countries is individually more than 3% of the total volume of imports.
d. Cumulative assessment of the effects of import is appropriate as the imports from the subject countries not only directly compete with the imports from each of the subject countries but also the like articles offered by the domestic industry in the Indian market."

l. **Paragraph 239** of the final findings stands substituted to be read as under:

"239. With regard to the submissions that the landed price of the product under consideration has moved in tandem with the international price of VCM, the Authority notes that as per the evidence on record, the VCM prices of the domestic industry are based on international prices. Further, VCM is imported by Chemplast Cuddalore Vinyls Limited and DCW Limited. The Authority has compared the landed price of the subject goods with price of VCM of Chemplast and DCW. It is noted that the difference between the landed price and price of VCM has declined. Thus, the Authority concludes that the landed price has declined without commensurate decline in price of VCM."

m. **Paragraph 297** of the final finding stands substituted to be read as under:

"297. As regard the submission that there are quality issues with the product produced by DCW Limited as it has imported the product under consideration post period of investigation, the Authority notes that the domestic industry has submitted that DCW Limited has imported the product under consideration, procured from domestic producers and majorly used its own grade to manufacture C-PVC post the period of investigation. Since the major consumption of DCW Limited remains its own grade, the Authority concludes that there are no quality issues in the subject goods manufactured by the domestic industry."

2. In **paragraph** 3 (g) (40), 96 (nn) and 335, "List of non-sampled cooperative producers from China PR" at S No. 9. of the final findings, please read **Shaanxi Beiyuan Chemical Group Co., Ltd.** instead of Shaanxi Beiyuan Chemical Industry Group Co.

3. In the paragraph 3 (f) (36) of the final findings, please read **Xinjiang Shengxiong Chlor-Alkali Co., Ltd.** instead of Xinjiang Shengxiong Chlor-Alkali Company Limited.

4. In the paragraph 3 (f) (25) of the final findings, please read **Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co., Ltd.** instead of Shanghai Chlor-Alkali Chemical Company Limited.

5. In the paragraph 266 the corrected injury margin table at S No. 12 with respect to Taiyo Vinyl Corporation is below -

SN	Name of Producer	NIP	Landed Price	Injury Margin	Injury Margin	Injury Margin
		USD/MT	USD/MT	USD/MT	%	Range (%)
B. Japan						
12	Taiyo Vinyl Corporation	***	***	***	***%	5-15%

6. In the paragraph 335 the corrected duty table at S No. 14 with respect to Taiyo Vinyl Corporation is below -

S. no.	Heading	Description*	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
14	-do-	-do-	Japan	Any country including Japan	Taiyo Vinyl Corporation	64	MT	USD

SIDDHARTH MAHAJAN, Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.10.31 14:00:40 +05'30'